न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 4175-तीन/2013 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-7-2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त खुरार तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली - प्रकरण कमांक 23 अ-12/2012-13

दिनेश प्रसाद पुत्र राजाराम ग्राम पडैनिया
तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली ---आवेदक

विरूद्ध

प्रकाश नारायण दुबे बल्द प्रद्युम्नराम
ग्राम पडैनिया तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रवण पाण्डेय)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अनिल तिवारी)

आ दे श
(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

राजस्व निरीक्षक वृत्त खुरार तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 23 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 के विरूद्ध म0प्र0भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक ने भूमि सर्वे कमांक 17, 18 मौजा पड़ैनिया के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक वृत्त खुटार तहसील सिंगरोली ने

प्रकरण क्रमांक 23 अ-12/12-13 पॅजीबद्ध किया तथा सरहदी कृषकों एंव ग्रामीणों को सूचना जारी की गई। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ स्थल पर जाकर दिनांक 9-7-13 सीमांकन किया , जिस पर आवेदक के पिता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। राजस्व निरीक्षक ने प्र0क0 25 अ-12/2012-13 में हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 26-7-13 पारित किया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर , लेखी बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सीमांकन आवेदन में की गई मांग पर अनावेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 17, 18 मौजा पड़ैनिया का सीमांकन राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 9-7-13 को किया है। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 26-7-13 से सीमांकन को अंतिमता इसलिये प्रदान की है क्योंकि आवेदक की आपत्ति यह है कि बंदोवस्त के दौरान ग्राम पड़ैनिया का जो नक्शा बनाया गया है वह मौके की स्थिति एंव भूमियों के कब्जे व स्वत्व के मान से नहीं है, जिससे आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है । प्रकरण के अवलोकन से एंव स्थल पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन उपरांत तैयार की गई फील्ड बुक एंव

परिमाप अभिलेख अनुसार सीमांकन सही किया गया है। जहां तक आवेदक की आपत्ति का प्रश्न है यदि बंदोवस्त के दौरान ग्राम पड़ैनिया का नक्शा गलत बनाया गया है - आवेदक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन देकर कलेक्टर सिंगरोली से नक्शा दुरूस्त करा सकते हैं तदुपरांत ही आवेदक की भूमि की सही स्थिति प्रकट होगी, किन्तु वर्तमान नक्शे के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही एंव पारित आदेश दिनांक 26-7-13 में त्रृटि नहीं है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 26-7-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जबा जिला रीवा के प्र0क0 23 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर